INDIA NON JUDICIAL

IN-UP03153022056695V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP03153022056695V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 05:07 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14478304/ BADLAPUR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14478304019052058650869Y
Purchased by	:	PT RAM NARAYAN SHARMA MAHAVIDYALAY
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PT RAM NARAYAN SHARMA MAHAVIDYALAY
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PT RAM NARAYAN SHARMA MAHAVIDYALAY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Signature-
Name- Roshan Lalshekhar Singh
Code- UP14478304
Add- Badlapur Jaunpur

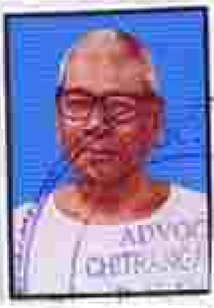

(प्रारूप–"अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

468
1/9/2023

हम **रतन बहादुर सिंह (अध्यक्ष) एवं अजय सिंह प्रबन्धक / सचिव–वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट,गजाधरपुर,गद्दोपुर जौनपुर** शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट,गजाधरपुर,गद्दोपुर जौनपुर संस्था (पं0 राम नारायण शर्मा महाविद्यालय करौदहाँ अमरगढ़ प्रतापगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम ग्राम करौदहाँ,पो0–अमरगढ़,जनपद–प्रतापगढ़ में गाटा संख्या 108,109,110 एवं रकबा क्रमशः 2.0 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 108,109,110 (कुल रकबा 2.0 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.07.2020 द्वारा पारित किया गया है।

NOTARY ... ADVOCATE ... DISTT. ...PUR (U.P.) ... GOVT. OF INDIA

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि,निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी,कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुध्द परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0सचिव **ह0 अध्यक्ष**